राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(कार्यालय–बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 2224755, 2220672 फैक्स नं. : 2224754)

क्रमांक: प.40 / ग्रा.वि. / बी.एफ.ए. / 2006–07 दिनांक :– 11.6.2010

जिला कलक्टर,
____

विषय :– जैट्रोफा कल्टीवेशन हेतु बंजर भूमि आवंटन एवं पौधारोपण की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर गठित स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजन के संबंध में।

महोदय,

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक: पी.एस. / ग्रा.वि.ए.पं.रा. / 2007 दिनांक 25.04.2007 के द्वारा जैट्रोफा कल्टीवेशन हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुये जिला स्तर पर समीक्षा हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया था (फोटो प्रति संलग्न) :–

1. जिला कलक्टर — अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य
3. जिला वन अधिकारी / उप वन संरक्षक — सदस्य
4. जिला कृषि अधिकारी — सदस्य
5. प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र — सदस्य
6. अधिशाषी अभियन्ता (एल.आर) — सदस्य सचिव

जैट्रोफा कल्टीवेशन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु इस समिति की बैठक मासिक रूप से आयोजित होनी थी, आपके जिले से उक्त समिति की बैठक आयोजन की सूचना प्राप्त नहीं हो रही है।

कुछ जिलो से प्राप्त सूचना के आधार पर जैट्रोफा की जीवितितता दर काफी कम आ रही है (10–53 प्रतिशत तक) अतः यह आवश्यक है कि ऐसे स्थानो पर पुनः पौधारोपण कराया जावें तथा अब एस.एच.जी. / ग्राम पंचायतो को आवंटित की गयी भूमि पर रतनजोत का पौधारोपण कराया जावे। अतः पत्र के साथ संलग्न बिन्दुओं पर बैठक में चर्चा की जावकर इस कार्यक्रम को गति प्रदान की जावें।

कृपया अधिशाषी अभियन्ता (एल.आर.) को उक्त समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराने के निर्देश प्रदान करे तथा बैठक का कार्यवाही विवरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर को नियमिति रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

11/6/10

शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

बैठक में विचारणीय बिन्दू

1- बंजर भूमि का चिन्हिकरण।

2- ग्राम पंचयतो एव बी.पी.एल. परिवार के स्वयं सहायता समूहों को भूमि आवंटन की समीक्षा।

3- ग्रीन पट्टा जारी करना।

4- पडत एवं परिभ्राषित वन भूमि (Degraded Forest Land) का चिन्हिकरण एवं वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों (JFPMC) के माध्यम से बायो--डीजल आधारित (रतनजोत) पौधो का पौधारोपण की समीक्षा।

5- स्वयं सहायता समूहों/ग्राम पंचायतो/ JFPMC को आवंटित भूमि को जलग्रहण एवं भू–संरक्षण आधार पर ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं (MHREGS, SGRY, IWDP, DDP, DPAP etc.) के माध्यम से विकसित कराने की समीक्षा।

6- बायोफ्यूल की वेबसाइट www.biofuelraj.gov.in को नियमित अपडेट करने की समीक्षा।

7- नर्सरी स्थापना की प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति की समीक्षा।

8- अन्य बिन्दु स्थानीय आवश्यकतानुसार।